

दूरभाष: 26175176
फैक्स: 26162093
E-mail: ddhts-exam-dol@nic.in

संख्या-30/3/2018-उ.नि.(परीक्षा)/1969

भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

हिंदी शिक्षण योजना

उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय

पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली-110066

दिनांक: 24.9.2018

सेवा में,

निदेशक/संयुक्त निदेशक/सभी उप निदेशक/सर्वकार्यभारी अधिकारी,
हिंदी शिक्षण योजना/पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/
केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष

विषय:- हिंदी शब्द संसाधन / टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा जनवरी, 2019 की समय-सारणी तथा प्रणाली में प्रशिक्षार्थियों का विवरण अपलोड करने के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग के अंतर्गत आयोजित होने वाली हिंदी शब्द संसाधन / टंकण एवं आशुलिपि की परीक्षाएँ परीक्षा स्कंध द्वारा प्रति वर्ष जनवरी माह के दूसरे/तीसरे सप्ताह में आयोजित की जा रही हैं। इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाते हैं। प्रत्येक सत्र में इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले नियमित/प्राइवेट/पत्राचार तथा पूरक परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम परीक्षा समाप्त होने के एक माह के अंदर घोषित किया जाता है ।

जनवरी, 2019 में आयोजित की जाने वाली वाली हिंदी शब्द संसाधन /टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा के संबंध में सूचित करना है कि राजभाषा विभाग के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने एवं उसकी मॉनीटरिंग को चुस्त बनाने के लिए पूर्व की भांति 'हिंदी भाषा हिंदी शब्द संसाधन/टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रणाली के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय उप निदेशक परीक्षा संबंधी कार्य निम्नवत् करना सुनिश्चित करें :-

1. विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षार्थियों का विवरण सहायक निदेशक द्वारा प्रणाली में भरने के पश्चात् क्षेत्रीय उप निदेशक/उ.नि.(टंकण/आशु.)/पत्राचार द्वारा सत्यापित कर परीक्षा शाखा में भेजा जाए । किसी भी प्रशिक्षार्थी का मैन्युअल परीक्षा फार्म अब परीक्षा शाखा द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा । केवल उन्हीं कार्मिकों की परीक्षा होगी जिनका विवरण प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रणाली पर भरा होगा ।
2. सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक/उ.नि.(टंकण/आशु.)/पत्राचार स्वयं इसकी मॉनीटरिंग करके यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ प्रत्येक सहायक निदेशक (टंकण/आशु.) द्वारा पूरा डाटा उक्त प्रणाली में सही भरा गया है।
3. प्रणाली के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि अगस्त-जनवरी सत्र में 17 अक्टूबर, 2018 निर्धारित की गई है । विवरण को सत्यापित कर उप निदेशक(परीक्षा) को स्वीकृति हेतु भिजवाने की अंतिम तिथि 31अक्टूबर,2018 निर्धारित है। सत्यापन के तुरंत बाद क्षेत्रीय उप निदेशक /उ.नि.(टंकण/आशुलिपि)/ पत्राचार उपनिदेशक(परीक्षा) को ई-मेल द्वारा सूचना देना सुनिश्चित करें।
4. नियमानुसार परीक्षार्थी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 25-25 अंक अथवा उससे अधिक होना अनिवार्य है । प्रश्न-पत्र द्वितीय (गति परीक्षा) में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30 श.प्र.मि. (9000 KDPH) की गति होगी । किसी एक प्रश्न पत्र में 25 से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को पूरक घोषित किया जाएगा ।

5. पत्राचार पाठ्यक्रम के (केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान) प्रशिक्षार्थियों का विवरण सहायक निदेशक (टंकण/आशु0) द्वारा प्रणाली के माध्यम से ही दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 तक अपलोड कर उपनिदेशक(टंकण/आशुलिपि) पत्राचार द्वारा सत्यापित कर दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 तक उप निदेशक (परीक्षा) को भेजा जाए ।
6. जुलाई, 2018 में आयोजित हिंदी शब्द संसाधन टंकण परीक्षा के किसी एक प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी को जनवरी, 2019 के लिए पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रणाली में पुनः विवरण अपलोड नहीं करना होगा। पूर्व जारी पंजीकरण के आधार पर ही उसे परीक्षा देनी होगी ।
7. हिंदी शब्द संसाधन टंकण/आशु. के 5 दिवसीय कक्षा में पढ़ाई के अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (Validation Course) के प्रशिक्षार्थियों का विवरण सहायक निदेशक द्वारा अपलोड किया जाएगा । जिसे क्षेत्रीय उपनिदेशकों/ उ.नि.(टं./आशु.) / पत्राचार द्वारा सत्यापित करके उप निदेशक(परीक्षा) को ई मेल द्वारा सूचित किया जाए ।
8. जुलाई, 2018 की परीक्षा में पूरक घोषित हुए जो परीक्षार्थी जनवरी, 2019 की पूरक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे, उन्हें बाद में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में दोनों प्रश्न-पत्रों की परीक्षा देनी होगी ।
9. प्रशिक्षार्थी के परीक्षा केंद्र परिवर्तन संबंधी कार्रवाई क्षेत्रीय उप निदेशकों, उ.नि. (टंकण/आशुलिपि) /पत्राचार के माध्यम से की जाएगी, जिसकी सूचना परीक्षा शाखा को ई मेल द्वारा दी जाएगी और केंद्र परिवर्तन का नया परीक्षा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा । उक्त प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षार्थी को परीक्षा की निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। उसके पश्चात् केंद्र परिवर्तन हेतु दिए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।
10. सहायक निदेशकों द्वारा प्रणाली के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क का विवरण भरने के पश्चात् उप निदेशक (परीक्षा) द्वारा स्वीकृति के पश्चात् ही परीक्षा प्रवेश पत्र जारी किए जा सकेंगे । परीक्षा शुल्क के लिए बैंक ड्रॉफ्ट उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम देय होगा । केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए हिंदी शब्द संसाधन टंकण/आशुलिपि परीक्षाओं के लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है । भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के सभी कार्मिकों के लिए रु.100/- परीक्षा शुल्क देय है।

परीक्षा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की website www.onlinesbi.com पर निम्नलिखित स्टेप्स अपनाते हुए ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है ।

ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टेप्स:-

1. सबसे पहले State Bank of India की website www.onlinesbi.com में State Bank Collect नामक उपशीर्षक पर जाएँ। State Bank of India की website www.onlinesbi.com पर मुख्य शीर्षक State Bank of India पर क्लिक करने पर State Bank Collect नामक उपशीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए Proceed करें।
2. State Bank Collect पेज पर State of Corporate/Institution में All India Select करें तत्पश्चात् Type of Corporate/Institution में Govt. Department Select करें एवं GO को क्लिक करें ।
3. Govt.Department Name में HINDI TEACHING SCHEME, DEPT.OF OFFICIAL LANGUAGE MHA को SUBMIT करें ।
4. Select Payment Category में Hindi Teaching Scheme Select करें । Select करते ही एक फार्म खुल जाएगा ।

5. इस फार्म को भरने के पश्चात Submit करें । Submit करने के बाद अपने भरे हुए विवरण को Confirm कर Payment करें ।
6. Payment करने के बाद Receipt के प्रिंट की फोटोप्रति उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजें।

(ऑनलाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद उप निदेशक(परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली कार्यालय में भेजना अनिवार्य है ।

11. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/सहायक निदेशक टंकण/आशुलिपि/पत्राचार यथासमय प्रणाली से परीक्षा प्रवेश-पत्रों का प्रिंट लेकर सभी संबंधित परीक्षार्थियों को उपलब्ध करवा सकते हैं।
12. प्रणाली के अंतर्गत सहायक निदेशकों द्वारा केंद्र अधीक्षक संबंधी पूर्ण जानकारी भरी जाएगी । इसके अंतर्गत केंद्र अधीक्षक का नाम, पदनाम, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं., कार्यालय का फोन नं., कार्यालय का पूरा पता तथा परीक्षा केंद्र का पूरा पता आदि देना अनिवार्य है। सहायक निदेशक यह सुनिश्चित करें कि **केंद्र अधीक्षक राजपत्रित अधिकारी हों, उसी शहर में कार्यरत हों** तथा परीक्षा के दिनों में उनके स्थानांतरण / अवकाश पर जाने की संभावना न हो । उपक्रमों / निगमों के अधिकारियों को भी परीक्षा केंद्र अधीक्षक बनाया जा सकता है जो कि राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हों ।
13. सहायक निदेशक द्वारा केंद्र अधीक्षक का विवरण भी प्रणाली के माध्यम से भरकर क्षेत्रीय उप निदेशक/ उपनिदेशक (टंकण/आशु.)/पत्राचार द्वारा उपनिदेशक(परीक्षा) को अग्रेषित किए जाएं ताकि परीक्षा संबंधी आगामी कार्रवाई (केंद्र अधीक्षक का नियुक्ति पत्र, प्रश्न-पत्र एवं परीक्षा सामग्री) यथासमय भिजवाई जा सके ।
14. भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों / निगमों/ राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में 10 रुपए का बैंक ड्राफ्ट **उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली** के पक्ष में भेजना होगा, जिसका विवरण प्रणाली में अपलोड होने के पश्चात् ही उसका परीक्षा प्रवेश पत्र जारी होगा ।
15. कृपया सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/सर्वकार्यभारी अधिकारी परीक्षाओं के संचालन हेतु परीक्षा भवन का किराया (जहाँ परीक्षा भवन किराए पर लेने की आवश्यकता हो) पारिश्रमिक राशि तथा फुटकर खर्च आदि के लिए **अग्रिम राशि की प्राप्ति हेतु प्रस्तावित केंद्र अधीक्षक के बैंक खाता संख्या, IFSC CODE, Bank का नाम** आदि विवरण सहित अग्रिम मांग पत्र भी दिनांक 10.10.2018 तक इस कार्यालय को अवश्य भेज दें ।
16. परीक्षा से संबंधित बिलों का भुगतान केवल केंद्र अधीक्षक के बैंक खाते में ई पेमेंट द्वारा ही किया जाएगा । अतः बिल के साथ केंद्र अधीक्षक के बैंक खाते का विवरण बैंक / शाखा का नाम, खाता संख्या, आई एफ एस सी कोड (IFSC CODE NO) मोबाईल नंबर तथा ई मेल आई डी अनिवार्य रूप से संलग्न कर भेजें ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित भुगतान प्रक्रिया का पालन हो सके । सुगमता को देखते हुए कैंसिल चैक की एक फोटो प्रति भी भेजी जाए ।

जनवरी, 2019 में T 1 नियमित, P 1 प्राइवेट, T2 पत्राचार, T3 अल्पावधि प्रशिक्षण S 1 आशुलिपि एवं पूरक के लिए

आयोजित होने वाली परीक्षा की समय-सारणी

हिंदी शब्द संसाधन/ टंकण परीक्षा की समय-सारणी तथा पूरक-1

परीक्षा की तारीख	दिन	बैच	समय
08.01.2019	मंगलवार	I	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
08.01.2019	मंगलवार	II	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
09.01.2019	बुधवार	III	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
09.01.2019	बुधवार	IV	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
10.01.2019	वीरवार	V	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
10.01.2019	वीरवार	VI	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
11.01.2019	शुक्रवार	VII	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
11.01.2019	शुक्रवार	VIII	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
16.01.2019	बुधवार	IX	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
16.01.2019	बुधवार	X	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
17.01.2019	वीरवार	XI	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
17.01.2019	वीरवार	XII	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक


S 1 हिंदी आशुलिपि परीक्षा की समय-सारणी

परीक्षा की तारीख	दिन	बैच	समय
18.01.2019	शुक्रवार	I	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
18.01.2019	शुक्रवार	I	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
21.01.2019	सोमवार	II	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
21.01.2019	सोमवार	II	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक
22.01.2019	मंगलवार	III	प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक
22.01.2019	मंगलवार	III	सायं 02.00 से 04.00 बजे तक

टंकण (पूरक-II)

परीक्षा की तारीख	दिन	बैच	समय
23.01.2019	बुधवार	XIII	प्रातः 10.00 से 10.30 बजे तक
23.01.2019	बुधवार	XIV	प्रातः 11.00 से 11.30 बजे तक

भवदीया


24.1.2018
(सुमन लाल)

उप निदेशक (परीक्षा)

कोड - chti1102

टिप्पणी:- कृपया संबंधित कार्यालय अपने कार्यालय की ई मेल भेजने का कष्ट करें ताकि भविष्य में मेल द्वारा पत्राचार किया जा सके ।

संपर्क सूत्र :-

क्षेत्रीय कार्यालयों का पता एवं ई मेल आई.डी. :-

- (1) उप निदेशक (मध्योत्तर)

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए

हिंदी शिक्षण योजना,
पूर्वी खंड-7, तल-6,
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066
ddhts-nc-dol@nic.in
- (2) उप निदेशक (दक्षिण)

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल तथा पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए

हिंदी शिक्षण योजना,
ई-3, सी ब्लॉक, राजाजी भवन,
बेसन्ट नगर, चेन्नै-600090
ddhts-south-dol@nic.in
- (3) उप निदेशक (पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना,

पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड एवं अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए

18वां तल, निजाम पैलेस परिसर,
234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-700020
ddhts-east-dol@nic.in
- (4) उप निदेशक (पश्चिम)

महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, दमन दीव एवं दादरानगर ल हवेली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए

हिंदी शिक्षण योजना,
केंद्रीय सदन, सी. विंग, छठा माला,
सी.बी.डी., बेलापुर, नवी मुंबई-400614
ddhts-west-dol@nic.in
- (5) उप निदेशक (पूर्वोत्तर)

असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों में स्थित कार्यालयों के लिए

हिंदी शिक्षण योजना,
पू.सी.रेलवे मुख्यालय,
मालीगांव, गुवाहाटी-II (असम)
htsghy@gmail.com
- (6) उप निदेशक (टं/आ)

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए

हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, तल-6,
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066
chti1035@nic.in
- (7) उपनिदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम)

अखिल भारतीय स्तर पर

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011
adppracharchti-dol@nic.in